(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1077–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 287/11–12/अपील.

———

प्रीतमसिंह पुत्र बेदरिया
निवासी गोसपुरा नं. 1 ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
रवि नगर रोड, ग्वालियर

2– म.प्र. शासन

.....अनावेदकगण

———

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजीत सुडेले, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर सीाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा अपर तहसीलदार, मुरार ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दीनारपुर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 108 रकबा 5.11 बीघा का अनुबंध आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 1 से किया गया है और अनावेदक कमांक 1 द्वारा राशि रूपये 2,33,100/– का भुगतान आवेदक को कर कब्जा प्राप्त किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि विधि के प्रभाव से अनावेदक कमांक 1 ग्वालियर विकास प्राधिकरण में वेष्टित हो चुकी है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि की प्रविष्टि अनावेदक कमांक

1 ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम से नहीं हो सकी है, अतः प्रश्नाधीन भूमि उनके नाम अंकित किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 70/08–09/अ–6–अ दर्ज कर दिनांक 9–9–2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में वेष्ठित करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–10–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–2–2012 को आदेश पारित कर अपील समयबाह्य होने से समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल द्वारा कई न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर मौखिक रूप से निवेदन करने पर भी विलम्ब क्षमा करना चाहिए, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि किसी भी पक्षकार को तकनीकी आधार पर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और समयावधि के संबंध में उदारतापूर्वक रख अपनाना चाहिए । आवेदक द्वारा पूर्व में समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई थी, इसलिए यदि भूलवश विलम्ब हो गया हो तो उस बिन्दु पर अपर आयुक्त को उदारतापूर्वक रख अपनाते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही देने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर, उसी दिन समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी । आवेदक द्वारा संशोधित अधिनियम की जानकारी के अभाव में चार–पांच दिन विलंब से अपील प्रस्तुत की थी और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु मौखिक निवेदन किया गया था, अतः अपर आयुक्त को विलम्ब क्षमा किया जाकर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा 96 दिन का विलम्ब बताते हुए आदेश पारित किया है, जो कि अभिलेख के विपरीत है ।

यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार रहित है, जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई है और अवैधानिक आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का आदेश एकपक्षीय आदेश है, क्योंकि आवेदक द्वारा अपने तर्क में जो बिन्दु उठाये गये थे, उन पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हुए स्वयं के विवेक से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करने हेतु प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 मध्य निष्पादित अनुबंध के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, अतः तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता में हुए संशोधन के अनुसार अपर आयुक्त के समक्ष 45 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है, किन्तु आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष 96 दिन पश्चात समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी और अपर आयुक्त द्वारा न्याय दृष्टान्त का उल्लेख करते हुए विधिवत आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से समाप्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2000 (दो) म.प्र. वीकली नोट 267 (सु.को.) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2011 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 19–1–2012 को अपील प्रस्तुत की गई है । आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में दिनांक 24–11–2011 से 18–1–2012 तक व्यतीत समय कम करने पर अपर आयुक्त के समक्ष 42 दिन में अपील प्रस्तुत की गई है । दिनांक 12–10–2011 को पुराना प्रावधान ही लागू था, जिसके अनुसार अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा 45 दिन थी । अतः स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील निर्धारित समयावधि में थी, जिसे समय बाह्य मानने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अतः प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह अपील को समयावधि में मान्य कर, प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर सीाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर